कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया
(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक VI-3 / 2016 – 911 / रा0, दिनांक 11.11.2017/

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– जमाबंदी पंजी–2 का ऑन लाईन डाटा इन्ट्री करने हेतु निविदा सूचना प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जमाबंदी पंजी–2 ऑन लाईन डाटा इन्ट्री करने हेतु निविदा की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु इस पत्र के साथ निविदा सूचना की 05 (पाँच) प्रति एवं सी0 डी0 के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुरोध है कि कम से कम दो राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

(ग) निविदा की सामान्य शर्त्तें :–

1. निविदा को बिना कारण बताये संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
2. चयनित एजेंसी को जो भी सरकारी कागजात यथा जमाबंदी पंजी–2 का डाटा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होगा उसका डाटा इन्ट्री निर्धारित समय–सीमा के अंदर समाप्त करना अनिवार्य होगा।
3. किसी भी परिस्थिति में Sub-contracting स्वीकार्य नहीं होगा। इसकी जानकारी मिलने पर एकरारनामा रद्द करते हुए निबंधित फर्म के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जायेगी, एवं काली सूची में डाल दी जायेगी से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा।
4. निविदादाता को डाटा इन्ट्री के पश्चात् सत्यापन हेतु एवं अंतिम स्वच्छ प्रति प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर, कागज, कैटरिज की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
5. जमाबंदी पंजी –2 का डाटा इन्ट्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित स्थल पर किया जायेगा।
6. आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य का स्थल परिवर्त्तन भी किया जा सकता है, जो निविदादाता को बिना अतिरिक्त भुगतान के मान्य होगा।
7. अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वंय खर्च पर रखना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. राजस्व विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यों के लिए समय–सीमा को पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदनुसार निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य सम्पन्न करना होगा।
9. निर्धारित समय–सीमा के अंदर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन 1000/– (एक हजार) रूपये की कटौती निर्धारित विपत्र से की जायेगी। साथ ही अग्रधन की राशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
10. कार्यहित एवं समय–सीमा को देखते हुए न्यूनतम दर पर कार्य का वितरण एक से अधिक निविदादाता के बीच किया जा सकता है।
11. किसी भी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नहीं होगा। विभाग से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा। इस कारण भुगतान में विलम्ब होने पर सूद की राशि देय नहीं होगी।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
13. कार्यावंटन से पूर्व जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा करना होगा।
14. फर्म का चयन उनका पूर्वानुभव, तकनीकी क्षमता, न्यूनतम दर एवं negotiation के आधार पर किया जायेगा।
15. डाटा इन्ट्री एवं प्रिंटिंग का कार्य अत्यंत ही संवेदनशील है। किसी भी डाटा को प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ऐसा प्रमाणित होने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

समाहर्त्ता
खगड़िया।

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला राजस्व शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

खगड़िया जिलान्तर्गत सभी 07 अंचल कार्यालयों में संधारित जमाबंदी पंजी–2 का ऑन लाईन डाटा इन्ट्री कराये जाने, किये गये इन्ट्री का सत्यापन हेतु प्रिंट आउट निकालने एवं सत्यापनोपरान्त पुनः शुद्धिकरण एवं अंतिम स्वच्छ प्रति प्रिंट आउट हेतु योग्य फर्मों से द्वि–लिफाफा पद्वति के तहत अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

योग्य फर्म जो अधोलिखित शर्त्तों का पूरा करते हैं, सीलबंद लिफाफा में द्वि–लिफाफा पद्धति के तहत तकनीकि एवं वित्तीय निविदा जिला राजस्व शाखा, खगड़िया में दिनांक **22.11.2017** को अपराह्न **2:00** बजे तक दे सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाएं उसी दिन अपराहन 3:00 बजे जिला दर निर्धारण समिति के समक्ष अपर समाहर्त्ता के वैश्म में खोली जाएगी। जिसमें संबंधित निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकि निविदा के सफल होने पर वित्तीय निविदा खोली जाएगी। विस्तृत जानकारी बेवसाईट khagaria.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

(क) तकनीकि निविदा की शर्त्तें :–

1. निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र अद्यतन विवरणी संलग्न करनी होगी।
2. निविदादाता का पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति के साथ अद्यतन आयकर विवरणी संलग्न करना होगा एवं एक वित्तीय वर्ष का निम्नतम Turnover मो0–1,00,00,000=00 (एक करोड़) रू0 की शर्त्त सहित विगत तीन वर्षों का Turn over का Audit Report / बैंलेंस शीट संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में मो0–10,000=00 (दस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिलाधिकारी, खगड़िया के पक्ष में भुगतेय हो या इतनी ही राशि का जिला नजारत शाखा, खगड़िया द्वारा निर्गत नाजिर रसीद संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता फर्म को इस कार्य हेतु सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी, नाम, योग्यता एवं अनुभव के साथ देना होगा।
5. निविदादाता फर्म को पूर्व में पॉच वर्षों का डाटा इन्ट्री का कार्य कराने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
6. निविदादाता की तकनीकी क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण यथा – कम्प्यूटर सेट, यू0पी0एस0, इन्टरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या, जेनरेटर आदि का विवरण अंकित करना होगा। निविदा में अंकित विवरणी के अनुरूप संसाधन नहीं पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा उनके दावा को रद्द करते हुए द्वितीय बोली वाले फर्म को कार्य आवंटित कर दिया जायेगा।
7. निविदादाता को निर्धारित समय सीमा (दिनांक 28.02.2018) के अंदर कार्य समाप्त करने से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा।
8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव / कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निर्धारित अंतिम समय सीमा के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्त्तें :–

1. जमाबंदी इन्ट्री करने हेतु प्रति जमाबंदी सभी कॉलमों सहित का डाटा इन्ट्री दर संबंधित निविदादाता द्वारा दिया जायेगा।
2. सत्यापन हेतु एवं स्वच्छ प्रति निकाले जाने वाले प्रिंट आउट का दर प्रति पेज देना होगा।